अति महत्वपूर्ण

विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017

संख्या-7/2017/68/तीस-4-2017-8(11)/2009टीसी

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 20 जनवरी, 2017

विषय: आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 के लिये हल्की वाहनों की आवश्यकता हेतु संयुक्त मण्डनलीय पूल की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव के अर्द्धशा0पत्र संख्या-03/61-2017, दिनांक 10.01.2017, जो आप सभी को सम्बोधित है एवं जिसकी प्रति शासन तथा परिवहन आयुक्त को भी पृष्ठांकित की गयी है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के द्वारा निर्देशित किया गया है कि विधान सभा सामान्य, 2017 हेतु हल्के वाहनों की व्यवस्था पूर्व की भॉति संबन्धित जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा मण्डलीय पूल से की जायेगी, यदि मण्डल स्तर से आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो पड़ोस के मण्डल को गाडियॉ उपलब्ध कराने के लिये कहा जाय, यदि आपके मण्डल तथा पड़ोसी मण्डल से भी आवश्यकता अनुरूप वाहनों की व्यवस्थ कर पाना सम्भव नहीं है तो ऐसी अपरिहार्य स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी को न्यूनतम आवश्यकता हेतु निजी वाहन अधिकृत करने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

2- उपरोक्त पत्र के दृष्टिगत संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार स्तम्भ-3 में उल्लिखित मण्डलों में वाहनों की कमी की पूर्ति स्तम्भ-5 में अंकित मण्डलों से की जाय।

3- मण्डलायुक्त कृपया हल्के वाहनों की अपने मण्डल की आवश्यकता की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करेंगें कि जिल मण्डलों में हल्के वाहनों की कमी है, उसे तालिका में दर्शाये गये मण्डल/मण्डलों से तत्काल सम्पर्क करके वाहनों की आपूर्ति सुनिश्चित कर लेंगें तथा जनपदवार की गयी उक्त व्यवस्था से तुरन्त जिलाधिकारियों को भी अवगत करायेंगें।

4- यदि ग्रुप में दर्शाये गये मण्डलों से भी आवश्यकता के अनुरूप हल्के वाहनों की व्यवस्था कर पाना सम्भव नहीं होता है तो ऐसी अपरिहार्य स्थिति में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हेतु निजी वाहनें अधिग्रहीत की जा सकेंगीं। यह भी स्पष्ट करना है कि यदि संलग्नक में दिये गये चिन्हित मण्डल/मण्डलों से वाहनों को मंगाना मितव्ययी न हो तो स्थानीय स्तर से प्राइवेट वाहनों को अधिग्रहीत कर कार्यवाही की जाय। इस प्रकार हल्की वाहनों को निर्वाचन में प्रयोग करने पर मितव्ययता का ध्यान रखा जाय।

कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
ह0/-
आराधना शुक्ला
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7/2017/68(1)/तीस-4-2017 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को उनके अर्द्धशा0पत्र संख्या-03/61-2017, दिनांक 10.01.2017 के संदर्भ में।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नर्वेद सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-7/2017/68/तीस-4-2017-8(11)/2009टीसी, दिनांक 20 जनवरी, 2017 का संलग्नक।

क्र. सं.	चरण का दिनांक	मण्डल का नाम जहाँ निर्वाचन निर्धारित है	जनपद जहाँ निर्वाचन होना है	मण्डल का नाम जहाँ से सम्पूर्ति की जानी है
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	प्रथम चरण 11.02.2017	सहारनपुर (आंशिक)	शामली, मुजफ्फरनगर	लखनऊ
		मेरठ	मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर	कानपुर
		अलीगढ़	अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज	लखनऊ/कानपुर
		आगरा (आंशिक)	आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा	झांसी
2	द्वितीय चरण 15.02.2017	सहारनपुर (आंशिक)	सहारनपुर	सहारनपुर
		मुरादाबाद	मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा	फैजाबाद
		बरेली (आंशिक)	बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूँ	बस्ती/देवीपाटन
		लखनऊ (आंशिक)	लखीमपुर-खीरी	लखनऊ
3	तृतीय चरण 19.02.2017	आगरा (आंशिक)	मैनपुरी	आगरा
		कानपुर	फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात	मेरठ/अलीगढ़
		लखनऊ (आंशिक)	हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर	सहारनपुर
		फैजाबाद (आंशिक)	बाराबंकी	फैजाबाद
4	चतुर्थ चरण 23.02.2017	इलाहाबाद	इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर	गोरखपुर/आजमगढ़
		झांसी	झांसी, उरई, ललितपुर	आगरा
		बांदा	बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा	मीरजापुर
		लखनऊ (आंशिक)	रायबरेली	लखनऊ
5	पंचम चरण 27.02.2017	देवीपाटन	बलरामपुर, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती	कानपुर
		फैजाबाद (आंशिक)	फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी	फैजाबाद/वाराणसी /मुरादाबाद
		बस्ती	बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर	बरेली
6	षष्ठम चरण 04.03.2017	गोरखपुर	गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर	इलाहाबाद
		आजमगढ़	आजमगढ़, मऊ, बलिया	लखनऊ
7	सप्तम चरण 08.03.2017	मीरजापुर	मीरजापुर, भदोही, सोनभद्र	बांदा
		वाराणसी	वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर	फैजाबाद/बस्ती

ह0/-
(नर्वेद सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in